

झारखंड मंत्रपरिषद की बैठक में लयि गए महत्त्वपूर्ण नरिणय

चर्चा में क्यौं?

1 सतिंबर, 2022 को झारखंड मंत्रालय में आयोजति मंत्रपरिषद की बैठक में झारखंड राज्य अंगुलांग सेवा (नयिकृति, प्रोननति एवं अन्य सेवा-शरतौं) नयिमावली-2022 के गठन करने की स्वीकृति सहति कई अन्य महत्त्वपूर्ण नरिणय लयि गए ।

प्रमुख बदि

- मंत्रपरिषद की बैठक में झारखंड पंचायत सचवि (नयिकृति, सेवा-शरत एवं कर्त्तव्य) नयिमावली (संशोधति), 2014 को शथिल करते हुए ग्राम रक्षादल के दलपतयिों को पंचायत सचवि पद पर नयिकृति की स्वीकृति दी गई ।
- झारखंड राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधनियम, 2013 के अंतरगत लक्षति जन-वतिरण प्रणाली के तहत राज्य के सभी 24 ज़िलों में फोर्टीफाइड चावल (**Fortified Rice**) वतिरण करने हेतु '**Rice Fortification Scheme**' लागू करने की स्वीकृति दी गई ।
- झारखंड राज्य के गठन (बहिर पुनर्गठन अधनियम, 2000) के पश्चात् झारखंड राज्य के भौगोलकि सीमा में अवस्थति चांडलि लघु जलवदियुत परयोजना (ज़िला-सरायकेला-खरसावाँ) एवं तेनु बोकारो लघु जलवदियुत परयोजना (ज़िला-बोकारो) को **As is where is** के आधार पर जरेडा द्वारा पी.पी.पी. मोड पर संचालन करने की प्रशासनकि स्वीकृति दी गई ।
- 'मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना' के तहत प्रभावति सुपात्र व्यक्तयिों की चकितिसा हेतु वभिगीय सत्र से चकितिसा सहायता अनुदान की राशि 00 लाख रुपए को बढ़ाकर 10.00 लाख रुपए करने एवं पूर्व से स्वीकृत असाध्य रोगों की सूची में अन्य असाध्य रोगों को सूचीबद्ध करने की स्वीकृति दी गई ।
- विश्व बैंक संपोषति 'झारखंड पावर ससिटम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट' के अंतरगत झारखंड बजिली वतिरण नगिम लमिटिड एवं झारखंड ऊर्जा संचरण नगिम लमिटिड के लयि स्वीकृत राशि को रसिट्रकचर करने की स्वीकृति दी गई ।
- मोटरयान (यान सकरेपगि सुवधि का रजसिट्रेशन और कार्य) नयिम, 2021 के क्रयानवयन की स्वीकृति दी गई ।
- केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय माल और सेवाकर अधनियम, 2017 में कयि गए संशोधनों के आलोक में झारखंड माल और सेवाकर अधनियम, 2017 में प्रसतावति संशोधनों से संबंधति झारखंड माल और सेवाकर (संशोधन) वधियक, 2022 के झारखंड वधिानसभा के मानसून सत्र में पुरःस्थापन पर मंत्रपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई ।
- भारत सरकार की योजना **Revamped Distribution Sector Scheme (RDSS)** हेतु पी.एफ.सी. से स्वीकृति के उपरांत 29 करोड़ रुपए की संशोधति प्राक्कलति राशि की प्रशासनकि स्वीकृति तथा इस योजना के तहत पी.एफ.सी., राज्य सरकार एवं झारखंड बजिली वतिरण नगिम ल. के बीच त्रपिक्षीय करारनामा हस्ताक्षरति करने की स्वीकृति दी गई ।
- स्वास्थ्य, चकितिसा शकिषा एवं परिवार कल्याण वभिग के अन्तगत पारामेडकिल कर्मयिों (यथा-परचारिका ग्रेड 'ए', ए.एन.एम., फारमाससिट, प्रयोगशाला प्रावैधकि, एक्स-रे तकनीशयिन) की नयिकृति नयिमावली, 2018 में संशोधन की स्वीकृति दी गई ।
- पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की स्वीकृति एवं सहायक पुलसिकर्मयिों की सेवा अवध वसितार की स्वीकृति दी गई ।
- रमिस, रांची अंतरगत चतुर्थ वरगीय पदों पर बाह्यस्रोतीय माध्यम से सेवा प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई ।